



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, प्रयागराज

कार्यालय-7वां एवं 8वां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइंस, प्रयागराज

निविदा-सूचना

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद में पंजीकृत फर्मों से निम्नलिखित कार्यों हेतु सीलबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.adaallahabad.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। सीलबन्द लिफाफे पर कार्य का नाम एवं सेवा के मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण तथा प्रेषक / फर्म का नाम व पता अंकित करना अनिवार्य है। उक्त निविदा किसी भी कार्यदिवस में अयोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में रखे बाक्स में दिनांक 06.12.2018 को 2.00 बजे तक डाली जा सकेगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 08.12.2018 को सायं 4.00 बजे प्राधिकरण सभागार, आठवां तल, इन्दिरा भवन, सिविल लाइंस, इलाहाबाद में उपस्थित ठेकेदारों या अधिकृत प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हों) क समक्ष खोली जायेगी।

| क्र सं | कार्य का नाम | निविदा धनांक (रु. लाख में) | जमानत धनराशि (रु. लाख में) | कार्य समाप्त की अवधि | निविदा मूल्य जीएसटी सहित (रु. में) | निर्धारित श्रेणी |
|--------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. | बैहराना चौराहे के निकट पूर्व निर्मित नाले में आर. सी. सी. ह्यूम पाइप डालने का कार्य। | 7.53 | 0.75 | 10 दिन | 236.00 | 'डी' |
| 2. | द्वारगंज में प्रयागघाट स्टेशन से संगम बांध रोड तक सड़क के मध्य डिवाइडर का निर्माण | 8.17 | 0.82 | 10 दिन | 236.00 | 'डी' |

नोट- 1. उक्त निविदा हेतु धरोहर राशि धनराशि अधिशासी अभियन्ता, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्दक एन.एस.सी./एफ.डी.आर./एन.एस.एस. के रूप में अथवा RTGS के माध्यम से प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। यदि किसी निविदा के साथ समुचित जमानत धनराशि जमा नहीं होगी तो ऐसी निविदाएं खोलते ही पुनः सील कर दी जायेगी। 2. निविदा खोलने की तिथि के अगले कार्य दिवस में सभी निविदादाताओं को जमानत धनराशि व निविदा मूल्य के मूल अभिलेख संबंधित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी। 3. निविदा मूल्य RTGS के माध्यम से अथवा नगद प्राधिकरण कोष में देय होगी, जो वापस नहीं होगी। 4. किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत या विभाजन करने का अधिकार उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा। 5. निविदा में दी गयी दरें तीन माह तक मान्य होगी। 6. शेष समस्त कर्तव्यों लाक निर्माण विभाग के नियमों के अनुसार की जायेगी। 7. निविदा स्वीकृत उपरान्त असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके द्वारा दिये गये उनके बैंक खाते में RTGS के माध्यम से वापस की जायेगी। 8. निविदा की दरों में कटिंग / ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। 9. कार्यालय अवकाश की दशा में निविदा अगले कार्य दिवस में डाली / खोली जायेगी।

मुख्य अभियन्ता
इ.वि.प्रा.